

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. प्रो० अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2. प्रो० व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
3. प्रो० जी.के. पात्रा	सदस्य
4. प्रो० मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5. प्रो० मनीषा दुबे	सदस्य
6. प्रो० बी.एन. तिवारी	सदस्य
7. प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
8. प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
9. प्रो० एल.पी. पटैरिया	सदस्य
10. प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
11. प्रो० शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

- 01 प्रो० ए.के. सक्सेना
- 02 प्रो० व्ही.एस. राठौर

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

**विषय क्र. 01** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2019 एवं 08.03.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2019 एवं 08.03.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

**विषय क्र. 02** विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा VET-2019 के आयोजन तिथि के निर्धारण पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि VET 2019 का आयोजन दिनांक 01 जून, 2019 एवं 02 जून, 2019 को किया जाय तथा इसके लिये आवेदन पत्र 01 अप्रैल से लेकर 03 मई, 2019 तक ऑन लाईन मंगाये जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रवेश परीक्षा के परिणामों की घोषणा 10 जून, 2019 को किया जाय।

- विषय क्र. 03** विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा VET हेतु जॉजगीर-चाम्पा शहर को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार।  
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जांजगीर-चाम्पा शहर में VET हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
- विषय क्र. 04** VRET प्रवेश परीक्षा के उपरान्त की जाने वाली अन्य आवश्यक तैयारियों के संबंध में विचार।  
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि VRET के परिणाम घोषित होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभाग अनिवार्य रूप से आवेदकों को दिनांक 30 अप्रैल, 2019 तक प्रवेश प्रदान कर देवे।  
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सभी शैक्षणिक विभागों द्वारा VRET 2018-19 से प्रवेशित शोधार्थियों के लिये अनिवार्य रूप से प्रि-पीएच.डी. कोर्स वर्क के लिए कक्षायें 01 मई से 15 मई तक लगाया जाय तथा 16 मई से 30 जून तक कक्षायें स्थगित रखी जाय।  
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि ऐसे प्रवेशित शोधार्थियों को शोधवृत्ति की पात्रता 01 मई, 2019 से होगी तथा इन शोधार्थियों के लिए गृष्मावकाश नहीं होगा।
- विषय क्र. 05** CSIT विभाग में अध्ययनरत् दो छात्रों के द्वारा अध्ययन के दौरान नौकरी पर चले जाने एवं तथ्य छिपाये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर विचार।  
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रथमतः संबंधित दोनों छात्रों कर्मशील कुमार एवं धर्मशील कुमार की उपस्थिति का सत्यापन नियोक्ता से कराया जाय तथा नियोक्ता से प्राप्त जानकारी के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाकर प्रकरण संबंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता को प्रस्तुत किया जाय।  
स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सम्पूर्ण प्रकरण पर गणितीय एवं संगणक विज्ञान अध्ययनशाला के अधिष्ठाता अपना अभिमत संलग्न करते हुए विषय विद्यापरिषद की स्थायी समिति को प्रस्तुत करेंगे।  
स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उक्त दोनों छात्रों के पांचवे सेमेस्टर के परिणाम लंबित रखे जाये एवं यदि उक्त परिणामों की घोषणा हो चुकी हो तो उन्हें एटीकेटी या आगामी सेमेस्टर में बैठने की अनुमति न दी जाय।
- विषय क्र. 06** एम.कॉम पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश प्रदान करने पर विचार करना।  
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि एम.कॉम पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में बाह्य प्रवेश दिया जाय। अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन अध्ययनशाला दिनांक 22.03.2019 तक सीट संख्या का निर्धारण कर अकादमिक शाखा को जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
- विषय क्र. 07** डॉ० हरीश कुमार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार।  
स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यह विषय आगामी बैठक के लिए स्थगित रखा जाय।



**विषय क्र. 08 VRET परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हुई त्रुटियों के लिये कार्यवाही पर विचार।**

स्थायी समिति ने प्रस्तावित विषय पर निम्नानुसार निर्णय लिया :-

- क) जिन प्रश्नों में त्रुटियां हैं या विकल्प गलत हैं, उनके लिए निर्धारित 01-01 अंक यथावत् समस्त परीक्षार्थियों को एक समान रूप से दिया जाये।
- ख) जिन प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है उन्हें सही उत्तर के साथ परीक्षण कर लिया जाय।
- ग) जिन प्रश्नों के उत्तरों में प्रश्न पत्र सेटर एवं विभागाध्यक्ष में मतभिन्नता है उनके लिए विभागाध्यक्ष या उनके नामिनी पेपर सेटर से सम्पर्क कर लें एवं उचित उत्तर का निर्धारण कर लें। दोनों की सहमति से निर्धारित उत्तर के आधार पर ओ.एम.आर. का परीक्षण किया जाय।

**विषय क्र. 09 सुमन लकड़ा, शोधार्थी, समाज कार्य विभाग के प्रकरण पर विचार।**


स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रकरण विशुद्ध रूप से विभागीय शोध समिति के क्षेत्राधिकार का है, अतः प्रचलित एवं प्रभावी शोध विनियम के प्रावधानों के प्रकाश में उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण विभागीय शोध समिति समाज कार्य विभाग को प्रेषित किया जाय।


### **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार**

**अ.अ.वि. क्र. 01** एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के कतिपय छात्रों ने यह अनुरोध किया था कि उनकी अंतिम (चतुर्थ) सेमेस्टर की परीक्षाएँ शीघ्र कराकर दिनांक 04.05.2019 तक परिणाम घोषित कर दिये जायें। छात्रों की आवश्यकता पर विचार करते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची की परीक्षा कराकर परिणाम दिनांक 04.05.2019 तक घोषित कराया जाना संभव नहीं है।

अतः इस विषय पर स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा कार्यक्रम तय अकादमिक कैलेंडर के हिसाब से ही सम्पन्न कराया जाय तथा उक्त निर्णय की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रदान कर दिया जाये।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

  
कुलपति/अध्यक्ष